डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष
प्राचार्य / प्राचार्या
विश्वविद्यालय आवासीय ईकाई
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषयः स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेवपोर्टल पर उपलब्ध छात्र/छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या D/26-27/0215 दिनांक 15/04/2026 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि शासनादेश संख्या 667/77–1–2024 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेवपोर्टल पर उपलब्ध छात्र–छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थियों का डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात लाभार्थी स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु पात्रता की सूची में आता है तत्पश्चात ही जनपद स्तर से उसका चयन कर संस्थान को वितरण हेतु उपकरण प्राप्त कराया जा सकता है जिन लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु शेष है। ऐसी स्थिति में उक्त लाभार्थी का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा जब उन लाभार्थीयों द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजीशक्ति की वेवसाइट https://digishakti.up.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से करा लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी अपने संस्थान/महाविद्यालय के सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाये जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ मिले सके।

नोडल अधिकारी 22/4/26 — कुलसचिव 22/4/26

प्रतिलिपिः–

(1) कार्यालय अधीक्षक, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

(2) ऐजेन्सी–2024 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालयों की लोगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner